न्यामूर्ति के. कानन के समक्ष

राम चंदर और अन्य (थ्रू एल. आर. एस.)-अपीलार्थी

बनाम

चमेला राम पुत्र भगवाना

और अन्य-उत्तरदाता

आर. एस. ए. सं. 1983 का 979

14नवंबर, 2011

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- धारा-100 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956- धारा-8, 30-एक ओर प्रतिवादी संख्या 1 और दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के बीच सांठगांठ वाला मुकदमा-आर. एस. ए. में प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया वर्तमान मुकदमा, कि सम्पत्ति पैतृक होने के कारण किसी भी माध्यम से सांठगांठ वाला मुकदमा समेत हस्तांतरण नहीं की जा सकती थी, मुकदमे के दौरान, प्रथम प्रतिवादी की मृत्यु हो गई और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 अपने मुकदमा में उसकी वसीयती पर भरोसा किया-मुकदमा की अनुमति दी गई, यह मानते हुए कि संपत्ति का कोई वसीयती निपटान नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह पैतृक जमीन थी- प्रथम अपीलीय अदालत ने परीक्षण न्यायालय के फैसले और डिक्री को बरकरार रखा- आर. एस. ए. में नीमन न्यायालयों के फैसलों और डिक्री को पूर्णतया इस आधार पर बदल दिया की हिंदु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 30 के स्पस्टीकरण अनुसार केवल उस पैतृक सम्पति की वसीयत हो सकती है जिस पर प्रथागत हिन्दू कानून लागु होता हो। आर अस ऐ स्वीकृत, मुकदमा खारिज।

अभिनिर्धारित किया कि दोनों न्यायालयों ने, मेरे विचार में प्रथम प्रतिवादी द्वारा एक वसीयत के तहत हस्तांतरण मान लेने में रूप एक मौलिक त्रुटि की है, जो प्रथागत हिंदू कानून के तहत अस्वीकार्य था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 विशेष रूप से संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में हक के संबंध में वसीयत को संभव

बनाती है। धारा 30 में जोड़ा गया स्पष्टीकरण अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इसके विपरीत मौजूदा प्रथागत कानून को ध्यान में रखते हुए भी संपत्ति के वसीयत की अनुमति देता है

(पैरा 4)

आगे अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय के निर्णयों के साथ-साथ विशेष रूप से इस तथ्य से संबंधित हैं कि जाट सिख जो प्रथागत हिंदू कानून द्वारा शासित थे,

उन्हें अभी भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के आधार पर पैतृक संपत्तियों की वसीयत करने का अधिकार है। इसे इस अदालत ने राली राम बनाम शिव चरण ए आई आर **1984 पी एंड एच 376, वरेश कुमार बनाम कैलाश देवी 1993 (3) पी. एल. आर. 700 और कुलदिप सिंह बनाम गुरदियाल सिंह 2007 (4) पी. एल. आर. 69 में निपटाया था। ट्रायल** और अपील न्यायालय उस निर्णय पर नहीं आते जो उन्होंने किया था, यदि उन्होंने धारा 30 को संदर्भ में लिया होता।

(पैरा 5)

संदीप अरोड़ा, अधिवक्ता जगदीश मनचंदा अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के लिए ।

गुरिंदर सिंह, अधिवक्ता अक्षय भान अधिवक्ता, प्रतिवादी के लिए।

न्यामूर्ति के. कन्नन

(1) प्रतिवादी इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी हैं। वादी द्वारा मुकदमा इस घोषणा के लिए था कि प्रति वादी संख्या 2 और 3 ने प्रथम प्रति वादी के साथ मिलीभगत करके अदालत से डिक्री ली और पैतृक संपत्तियों को बिना किसी आवश्यकता के हस्तांतरण करने के बराबर थी। अदालत ने पाया कि संपत्तियां पैतृक थीं और हालांकि उसने पाया कि प्रति वादी संख्या 2 और 3 द्वारा प्राप्त डिक्री

में पहले प्रतिवादी से बिना किसी आवश्यकता के संपत्तियों का उपहार दिया गया था, इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि पहले प्रति वादी की मृत्यु मुकदमे विचाराधीनता के दौरान हुई थी और संपत्तियां प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के कब्जे में थीं और मुकदमे को कब्जे की वसूली के परिणामी राहत के बिना तैयार किए गए तरीके से बनाए नहीं रखा जा सकता था और मुकदमे को खारिज कर दिया था। तथापि, न्यायालय ने तथ्य के रूप में पाया कि प्रथम प्रतिवादी ने अपनी मृत्यु से पहले प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के पक्ष में एक वसीयत का निष्पादन किया था और यह अभिनिर्धारित किया कि वसीयत सही थी लेकिन पैतृक सम्पत्ति के संबंध में प्रथम प्रतिवादी द्वारा वसीयत पैतृक व्ययन संपत्ति का हस्तांतरण के बराबर था और इसलिए, कानून में वैध नहीं था।

(2) वादियों की अपील में, वादियों ने कब्जे की वसूली में राहत की मांग करते हुए वाद में संशोधन की मांग की।संशोधन का आदेश दिया गया था और राहत प्राप्त करने से वादी के रास्ते में आने वाली तकनीकी आपत्ति अब नहीं थी और निचली अदालत के फैसले को दरकिनार कर दिया गया था, लेकिन अन्य सभी निष्कर्षों की पुष्टि की गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादी घोषणा के हकदार थे जैसा कि मांग की गई थी और संपत्ति का कब्जा वसूल करने के लिए भी।

प्रतिवादियों ने निचली अदालत के निष्कर्षों और दूसरी अपील में अपील न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी है।

(3) प्रतिवादियों के दावे के आधार की जांच करने के लिए पक्षों के बीच संबंध को संक्षेप में दिए जाने की आवश्यकता होगी।दल्लू राम पिता थे, जिनके तीन बेटे भगवान, तेलू और गंगा राम थे। भगवान के दो बेटे थे-कन्हिया और चमेला। चमेला वादी था ।कन्हैया के बेटे राम चंदर और लक्ष्मण जो, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 है। तेलू प्रथम प्रतिवादी था।वादी का तर्क था कि प्रथम प्रतिवादी द्वारा धारण की गई संपत्ति पैतृक थी जिसे दल्लू राम से संपत्ति मिली थी। उसके पास कोई औलाद नहीं थी और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 यह दावा करते हुए मुकदमा दायर किया गया था

कि एक पारिवारिक समझौता हुआ था जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को सभी संपत्तियां आवंटित की गई थीं, जो तेलू राम के पास थीं।इस तरह के समझौते के आधार पर उत्परिवर्तन भी स्वीकृत किए गए थे।तेलू राम द्वारा मुकदमा नहीं लड़ा गया था और उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के मुकदमा में एक डिक्री प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया था। कार्यवाही में बड़ी सांठगांठ देखी गई और निचली अदालत ने कहा कि जिस समय यह स्वीकार किया गया कि तेलू राम के पास कोई स्व-अधिग्रहण नहीं था और उन्हें अपने पिता से संपत्ति विरासत में मिली थी, यह कानूनी निष्कर्ष है कि वे पैतृक थे और ऐसी पैतृक सम्पत्ति को जीवित भाई के बेटे को छोड़कर अपने भाई के बच्चों के पक्ष में हस्तांतरण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी।दलीलों या पक्षों के साक्ष्यों से यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या तेलू राम को अपने भाई भगवान और गंगा राम के संदर्भ के बिना अपने पिता से विशेष अधिकार था। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि तेलू राम ने खुद संपत्ति नहीं खरीदी थी और उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली थी।जब तेलू राम की मृत्यु हुई थी तो यह प्रासंगिकता का विषय हो सकता था, क्योंकि अगर उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की तारीख के बाद होता, तो धारा 8 के तहत और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के युधिष्ठिर बनाम अशोक कुमार(1) में निर्धारित कानून अनुसार तेलू राम की संपत्ति को अभी भी केवल उसकी अलग संपत्ति के रूप में देखा जा सकता था। हालाँकि, मैं संपत्ति को पैतृक सम्पत्ति मानता हूँ जैसा कि वादी द्वारा तर्क दिया गया है और जैसा कि विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपील न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है।

(4) दोनों न्यायालयों ने, मेरे विचार में प्रथम प्रतिवादी द्वारा एक वसीयत के तहत हस्तांतरण मान लेने में एक मौलिक त्रुटि की है,

---

(1) ए. आई. आर 1987 एस. सी. 558

जो प्रथागत हिंदू कानून के तहत अस्वीकार्य था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 विशेष रूप से संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में हक के संबंध में वसीयत को संभव बनाती है। धारा 30 में जोड़ा गया स्पष्टीकरण अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इसके विपरीत मौजूदा प्रथागत कानून को ध्यान में रखते हुए भी संपत्ति के वसीयत की अनुमति देता है। इस खंड को निम्नानुसार पुनःप्रस्तुत किया गया है:-

"30. वसीयती उत्तराधिकार।

30. वसीयती उत्तराधिकार।1***** भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) या उस समय लागू और हिंदुओं पर लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी हिंदू वसीयत या अन्य वसीयती निपटान द्वारा किसी भी संपत्ति का निपटान कर सकता है, जिसका उसके द्वारा इस तरह से निपटान किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण।-किसी मिताक्षर सह-पक्षीय संपत्ति में किसी पुरुष हिंदू का हित या तरवाड़, तवाज़ी, इलम, कुटुम्बा या कवारू की संपत्ति में किसी तरवाड़, इलम, कुटुम्बा या कवारू के सदस्य का हित, इस अधिनियम या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस धारा के अर्थ के भीतर उसके द्वारा या उसके द्वारा निपटाई जाने में सक्षम संपत्ति मानी जाएगी।"

(5) इस न्यायालय के निर्णय भी विशेष रूप से इस तथ्य से संबंधित रहे हैं कि जाट सिख जो प्रथागत हिंदू कानून द्वारा शासित थे, उन्हें अभी भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के आधार पर पैतृक संपत्तियों के संबंध में वसीयत करने का अधिकार होगा। इस का निपटारा **इस अदालत ने राली राम बनाम शिव चरण (2), परेश कुमार बनाम कैलाश देवी (3) और कुलदिप सिंह बनाम गुरदियाल** सिंह (4) **मामले में किया था।** विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय उस निर्णय पर नहीं आते जो उन्होंने किया था, यदि उन्होंने धारा 30 का संदर्भ दिया होता।हालाँकि कई मुद्दे तैयार किए गए थे और कई आधारों का आग्रह करते हुए अपील तैयार की गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि कानून का एकमात्र महत्वपूर्ण सवाल जो विचार के

लिए उत्पन्न होता है, वह है मुकदमा विचाराधीनता रहने के दौरान वादी के दावे की वैधता जब प्रथम प्रति वादी की मृत्यु हो गई थी और उसने एक वसीयत प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के हक में निष्पादित किया था।

---

(2) ए आई आर 1984 पी एंड एच 376
(3) 1993 (3) पी. एल. आर. 700
(4) 2007 (4) पी. एल. आर. 69

मुकदमा मूल रूप से केवल इस घोषणा के लिए दायर किया गया था कि सिविल कोर्ट का आदेश मिलीजुली था और बाध्यकारी नहीं था।मुकदमे विचाराधीनता रहने के दौरान ही, प्रथम प्रतिवादी की मृत्यु हो गई थी और केवल घोषणात्मक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती थी और जब न्यायालय ने पाया कि जब संपत्ति प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के हाथों में आ गई थी, तो वादी द्वारा केवल घोषणा की राहत जारी नहीं रखी जा सकती थी, तो यह ध्यान दिया होगा कि एक वसीयत द्वारा से वसीयत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के बाद एक अस्वीकार्य हस्तांतरण के बराबर नहीं है। यह कानून में बाद के विकास को ध्यान दें देने में विफल रहा और अपील न्यायालय धारा का संदर्भ लेने में पूरी तरह से विफल रहा। वादी के मुकदमा को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए विशिष्ट निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए खारिज किया जाना चाहिए, जिसे अपील में संशोधित नहीं किया जा रहा था कि वसीयत गवाहों द्वारा से स्थापित की गई थी, जिन्होंने दस्तावेज़ की वास्तविकता के बारे में बात की थी।वास्तव में, ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया था कि मुकदमा वर्ष 1976 में शुरू किया गया था और वसीयत को पहले प्रतिवादी द्वारा 17.01.1968 पर निष्पादित किया गया था जब वह स्वस्थ था।प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत वास्तविकता के संबंध में निष्कर्ष के अनुरूप, वादी का मुकदमा खारिज होने योग्य था।

(6) नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों को ख़ारिज किया जाता है और लागत के साथ अपील की अनुमति दी जाती है।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)